

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 97/2025

दिनांक 20/5/25

अनवान

2025/266

~~अनवान लाल बिरा उदा कुर्गा पर्वत~~

~~बिरा उदा कुर्गा लो बेथे~~ प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

~~नाथु बिरा धीसा कुर्गा पर्वत~~

~~बिरा उदा कुर्गा लो बेथे~~ विपक्षी / विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करनेः

न्यायालय में अधिवक्ता श्री ..M.R. ..के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जाँच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जाँच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा ..कुर्गा ..पटवार हल्का ..कुर्गा ..की आराजी संख्या ..

अनुसार कुल कीता-12 कुल रकबा 57800 अंश कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा ..कुर्गा ..

पटवार हल्का ..कुर्गा ..की आराजी संख्या ..पर्वत कुल कीता-12

कुल रकबा 57800 अंश भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 5000/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र

कीता- (3)

MF

उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चित्तौडगढ़(राज.)

क्रमांक / सरिस्ता / 2025 / 344

प्रार्थना पत्र संख्या 97/25 व अनवान अनवान लाल बिरा उदा कुर्गा पर्वत प्रार्थना पत्र अध्या 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

दिनांक :- 22/5/25

MF

उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चित्तौडगढ़(राज.)

नोट - अगर किसी प्रकार का विवाद है तो अपनी रिपब्लिक की पक्षी मौके लॉकर मुकदमा लॉकर